शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्

जगन्नाथपूर, सेक्टर - 3 धुर्वा, राँची -834004
दूरभाषः 0651-2410519/2410509/2412028
फैक्सः 0651-2410528
ई-मेलः jepcranchi1@gmail.com, वेब- www.jepc.nic.in

डा. शैलेश कुमार चौरसिया, भा.प्र.से
राज्य परियोजना निदेशक

पत्रांकः JEPC/CIV/ 03/ 613 /2020/........ दिनांकः 25.02.2021

सेवा में

सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक
झारखण्ड

....

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,झारखण्ड

....

सभी जिला शिक्षा अधीक्षक–सह
अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,झारखण्ड

विषयः **दिनांक 1.03.2021 से विद्यालयों को खोलने के पूर्व सभी विद्यालयों के भवन एवं प्रांगण की सफाई तथा वर्ग संचालन हेतु आवश्यक तैयारी करने के संबंध में।**

महाशय,

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश संख्या 107(अनु) दिनांक 23.02.2021 तथा सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक 11/झा03–04/2019/399 दिनांक 24.02.2021 द्वारा राज्य के सभी सरकारी/गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्प संख्यक सहित) एवं झारखण्ड अधिविद्य परिषद से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में वर्ग 8, वर्ग 9 एवं वर्ग 11 की कक्षाओं का नियमित संचालन विभागीय मानक संचालन प्रकिया (SOP) का अनुपालन करते हुए दिनांक 01.03.2021 से प्रारंभ करने का आदेश निर्गत किया गया है। आदेश के साथ विद्यालय खोलने हेतु मानक संचालन प्रकियाँए (SOP) भी जिलों को उपलब्ध कराया गया है।

आप अवगत है कि विद्यालय 17 मार्च 2020 से वैश्विक महामारी कोरोना COVID-19 के कारण भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लगाए गये लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए बन्द थे। लंबी अवधि तक विद्यालय बन्द रहने के कारण खुलने के पूर्व उनमे साफ–सफाई कराना अति आवश्यक है। दिनांक 1.03.2021 से विद्यालयों में वर्ग 8, वर्ग 9 एवं वर्ग 11 का संचालन प्रारंभ करने के पूर्व बच्चों की सरक्षा हेतु COVID-19 के प्रोटोकाल के तहत खुलने वाले सभी विद्यालय के भवन एवं प्रांगण की साफ–सफाई तथा 1% Sodium Hypochloride से विद्यालय भवन को Sanitize कराना आवश्यक है।

अतः दिनांक 1.03.2021 के पूर्व विद्यालयों के साफ–सफाई हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जायः–

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

डा. शैलेश कुमार चौरसिया, भा.प्र.से
राज्य परियोजना निदेशक

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्
जगन्नाथपूर, सेक्टर - 3 धुर्वा, राँची -834004
दूरभाष: 0651-2410519/2410509/2412028
फैक्स: 0651-2410528
ई-मेल: jepcranchi1@gmail.com, वेब- www.jepc.nic.in

1. **विद्यालय भवन एवं प्रांगण की साफ-सफाई:**

- दिनांक 1.03.2021 के पूर्व सभी विद्यालयों द्वारा सुनिश्चित किया जाय। विद्यालय भवन एवं परिसर की सफाई हेतु विद्यालय में उपलब्ध कमरो के आधार पर बाजार से सफाई कर्मियों की सेवा निम्न प्रकार प्राप्त किया जा सकता है:-

कमांक	विद्यालय का प्रकार	कमरों की संख्या	आदेश संख्या 2056 दिनांक 18.12.2020 से खुलने वाले विद्यालयों की संख्या	आदेश संख्या 399 दिनांक 24.02.2021 से खुलने वाले विद्यालयों की संख्या	लॉकडाउन के बाद खुलने वाले विद्यालयों की कुल संख्या	सफाई कर्मियों की अधिकतम संख्या एवं कार्य दिवस जिनका उपयोग किया जा सकता है।
1	गैर आवासीय विद्यालय	03 तक	77	461	**538**	दो-दो मजदूर अधिक्तम दो कार्य दिवस के लिए
		04-08 तक	456	7316	**7772**	तीन-तीन मजदूर अधिक्तम तीन कार्य दिवस के लिए
		09-20 तक	1359	3638	**4997**	चार-चार मजदूर अधिक्तम चार कार्य दिवस के लिए
		20 या उससे अधिक	445	80	**525**	पाँच-पाँच मजदूर अधिक्तम पाँच कार्य दिवस के लिए
		कुल	**2337**	**11495**	**13832**	
2	आवासीय विद्यालय	03 तक	0	0	0	
		04-08 तक	0	13	13	तीन-तीन मजदूर अधिक्तम तीन कार्य दिवस के लिए
		09-20 तक	80	63	143	चार-चार मजदूर अधिक्तम चार कार्य दिवस के लिए
		20 या उससे अधिक	125	1	126	पाँच-पाँच मजदूर अधिक्तम पाँच कार्य दिवस के लिए
		कुल	**205**	**77**	**282**	
			2542	11572	14114	

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
डा. शैलेश कुमार चौरसिया, भा.प्र.से
राज्य परियोजना निदेशक

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्
जगन्नाथपूर, सेक्टर - 3 धुर्वा, राँची -834004
दूरभाष: 0651-2410519/2410509/2412028
फैक्स: 0651-2410528
ई-मेल: jepcranchi1@gmail.com, वेब- www.jepc.nic.in

- कमरों के आधार पर उपरोक्त श्रेणि में विभक्त विद्यालयों में प्रयुक्त सफाई हेतु मजदूरी का भुगतान विद्यालय विकास अनुदान की राशि से नियमानुसार किया जायेगा।

- परिश्रमिक भुगतान हेतु Bill/Voucher पर सफाई कर्मी का हस्ताक्षर अवश्य लिया जाय।

- विद्यालयों के साफ-सफाई के उपरांत सभी विद्यालयों को उपलब्ध कराया गया School Safety Pledge विद्यालय के किसी प्रमुख स्थान पर लगाया जाय।

- सफाई कार्य के पूर्व एवं सफाई कार्य के उपरांत विद्यालय भवन एवं परिसर का फोटो अवश्य लिया जाय। उपयोगिता प्रमाण पत्र में मास्टर रौल एवं School Safety Pledge सहित विद्यालय का फोटो अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाय।

2. **विद्यालयों का Sanitization:** विद्यालयों के साफ-सफाई के बाद सभी विद्यालयों को 1% Sodium Hypochloride से Sanitize किया जायेगा। Sanitization का कार्य निम्न प्रकार किया जायेगाः-
   - 1% Sodium Hypochloride एक अम्लीय तरल है अतः इसका उपयोग सावधानी पर्वक कियी जायेगा।
   - 1% Sodium Hypochloride में पानी मिलाकर Sanitization हेतु घोल तैयार किया जायेगा। 100ml Sodium Hypochloride में 10 लीटर पानी मिलाकर घोल तैयार किया जायेगा तथा इस घोल का उपयोग Sanitize करने हेतु किया जायेगा।
   - घोल के छिडकाव हेतु Spray Machine सभी प्रखण्ड/पंचायत में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है। प्रखण्ड/पंचायत से संपर्क कर Spray Machine प्राप्त किया जा सकता है।
   - Sanitization का कार्य विद्यालय भवन, गेट, बेंच-डेस्क, सीढी, सभी शौचालय, रसोई घर, सभी दरवाजा-खिडकी एवं हमेशा उपयोग होने वाले सभी सतहों पर किया जायेगा। ब्लैक बोर्ड तथा कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं यूपीएस पर Sanitization का कार्य नही किया जायेगा।
   - विद्यालय परिसर के भवन के आस-पास के क्षेत्र यथा विद्यालय भवन के समीप तथा खेल के मैदान के समीप भी Sanitization का कार्य कराया जायेगा।
   - बचे हुए 1% Sodium Hypochloride का सुरक्षित भण्डारण किया जायेगा।

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

डा. शैलेश कुमार चौरसिया, भा.प्र.से
राज्य परियोजना निदेशक

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्
जगन्नाथपुर, सेक्टर - 3 धुर्वा, राँची -834004
दूरभाष: 0651-2410519/2410509/2412028
फैक्स: 0651-2410528
ई-मेल: jepcranchi1@gmail.com, वेब- www.jepc.nic.in

3. विद्यालयों के शौचालय एवं पेयजल स्त्रोत का क्रियाशीलताः

- विद्यालय के शौचालय तथा पेयजल की क्रियाशीलता विद्यालय खुलने के पहले जाँच कराकर ठीक कराना सुनिश्चित कर लिया जाय।
- सभी प्रखण्डों के कनीय अभियंता को जल जाँच हेत प्रशिक्षण एवं Field Test Kit उपलब्ध कराया गया है। संबंधित अभियंता जल गुणवत्ता की जाँच कर गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन पोर्टल पर Upload करेंगे।

4. Quarantine Centre/Shelter Home के रूप में उपयोग किए गये विद्यालयों के लिए निदेशः

- Quarantine Centre के रूप में उपयोग किए गये विद्यालयों के संबंध में विद्यालय खुलने की पूर्व सूचना जिला प्रशासन/ जिला आपद प्रबंधन समिति को भी दिया जाय तथा उनसे विशेष सफाई हेतु अनुरोध किया जाय।
- Quarantine Centre के रूप में उपयोग किए गये विद्यालयों के संबंध में सूचना गूगल शीट में अविलंब राज्य कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
- किसी भी परिस्थिति Quarantine Centre के रूप में उपयोग किए गये विद्यालयों में वर्ग संचालन विशेष सफाई के बिना प्रारंभ नही किया जाय।

5. Physical Distancing के अनुपालन हेतु विद्यालय के लिए निदेशः

- वर्ग कक्ष संचालन हेतु वर्ग में बेच-डेस्क को इस प्रकार सुसज्जित किया जाय ताकि दो छात्रों के बीच 6 फीट की दूरी सुनिश्चित हो।
- विद्यालय के प्रवेश द्वार पर इस प्रकार गोल घेरा/चिन्ह बनाया जाय ताकि प्रवेश द्वार पर दो छात्रों के बीच 6 फीट की दूरी हो।
- आवासीय विद्यालयों में इसी प्रकार का चिन्ह भोजनालय एवं छात्रावास एवं अन्य स्थानों पर भी बनाया जाय।
- वर्त्तमान में वर्ग 8, वर्ग 9 एवं वर्ग 11 का ही संचालन की तैयारी की जा रही है। तथा पूर्व से वर्ग 10 एवं वर्ग 12 संचालित है।
- विद्यालय में उपलब्ध सभी वर्ग कक्षों में वर्ग 08 से वर्ग 12 का उपयोग वर्ग संचालन हेतु किया जाय ताकि Physical Distancing का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

6. विद्यालय में हाथ धोने हेतु साबुन/हैण्डवॉश की व्यवस्थाः

- विद्यालय के शौचालय, भोजनालय एवं अन्य प्रमुख स्थानों पर हाथ धोने हेतु पर्याप्त साबन/हैण्डवॉश की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित कर लिया जाय।

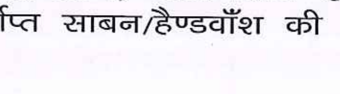

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

डा. शैलेश कुमार चौरसिया, भा.प्र.से
राज्य परियोजना निदेशक

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्
जगन्नाथपूर, सेक्टर - 3 धुर्वा, राँची -834004
दूरभाषः 0651-2410519/2410509/2412028
फैक्सः 0651-2410528
ई-मेलः jepcranchi1@gmail.com, वेब- www.jepc.nic.in

- छात्र-छात्राओं को समय-समय पर हाथ धोने के लिए शिक्षक उन्हे प्रेरित करे तथा इसे सुनिश्चित भी करे।

7. विद्यालय संचालन हेतु सामान्य निदेशः

- प्रार्थना सभा एवं खेल कूद संबंधित गतिविधर्या अगले आदेश तक स्थगित रहेगा साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियों पर रोक रहेंगे।
- बायोमेट्रिक उपस्थिति पर रोक यथावत् लागू रहेंगा।
- बाहरी व्यक्तियों का विद्यालय परिसर में प्रवेश वर्जित रहेंगा।
- किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी तथा अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जिले के असैनिक शैल्य चिकित्सक से समन्वय बनाकर रखेंगे। उसी प्रकार कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के वार्डेन एवं लेखापाल प्रखण्ड के चिकित्सा प्रभारी, स्थानीय पुलिस से लगातार संपर्क एवं समन्वय बनाकर रखेंगे।
- विद्यालय के प्रमुख स्थान पर स्थानीय प्रशासन,जिला कार्यालय,पुलिस,स्थानीय चिकितसक,ऐंबुलेस,चाइल्ड हेल्पलाईन का दूरभाष नम्बर तथा School Safety Pledge Board को प्रदर्शित किया जाय।
- विद्यालय के प्रमुख स्थानों पर कोरोना से बचाव से संबंधित संदेश को प्रचारित एवं प्रसाारित किया जाय।
- राज्य स्तर पर तैयार विडियों को सभी विद्यालयों द्वारा छात्रों के बीच प्रदर्शित किया जाय। विडियों परियोजना के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

अतः निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सभी निदेशो का दृढता से अनुपालन विद्यालय खुलने के पूर्व सभी विद्यालयों में सुनिश्चित किया जाय तथा आवश्यकतानुसार मजदूरो की सहायता से अविलंब विद्यालयों की साफ-सफाई सुनिश्चित किया जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे।

विश्वासभाजन

ह/0
(डा0 शैलेश कमार चौरसिया)
राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांकः JEPC/CIV/ 03/ 613 /2020/...397.........../राँची, दिनांकः25.02.2021

प्रतिलिपिः सभी प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह/0
(डा0 शैलेश कमार चौरसिया)
राज्य परियोजना निदेशक

ह/

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

डा. शैलेश कुमार चौरसिया, भा.प्र.से
राज्य परियोजना निदेशक

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्
जगन्नाथपूर, सेक्टर - 3 धुर्वा, राँची -834004
दूरभाष: 0651-2410519/2410509/2412028
फैक्स: 0651-2410528
ई-मेल: jepcranchi1@gmail.com, वेब- www.jepc.nic.in

ज्ञापांक: JEPC/CIV/ 03/ 613 /2020/..397.........../राँची, **दिनांक:25.02.2021**

प्रतिलिपिः 1.सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
2.निदेशक प्राथमिक-सह-माध्यमिक शिक्षा को सूचनार्थ प्रेषित्।
3. श्री सचिन कुमार, एम.आइ.एस समन्वयक को परियोजना के वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित्।
4. सभी अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सहायक अभियंता/लेखा पदाधिकारी, सभी जिलो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित्।

25/2/21
(डा0 शैलेश कुमार चौरसिया)
राज्य परियोजना निदेशक